कार्यालय :– मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

E-mail cfchaibasa@gmail.com, P.O. Chaibasa, West Singhbhum

पत्र संख्या– 2130

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर ।

चाईबासा, दिनांक – 2/11/2017 /

विषयः– सारण्डा वन प्रमण्डल में गुवा सलाई पथ के पुर्ननिर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पक्ष में कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 तक कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– 1–आपका ज्ञापांक– 2472 दिनांक– 18.09.2017 ।
2– वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक– 2397 दिनांक–02.11.2017।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक संदर्भ में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक– FP/JH/ROAD/23799/2017/1451 दिनांक– 28.08.2017 द्वारा विषयगत मामले में कृत पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा के पत्रांक–2397 दिनांक–02.11.2017 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा उपलब्ध कराया गया है । वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि दिनांक– 31.10.2017 को National Green Tribunal , Eastern zone, Kolkata में वाद की सुनवाई के दौरान सरकारी अधिवक्ता श्री विनोद कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में पृच्छित बिन्दुओं का अनुपालन सात (07) दिनों के अन्दर राज्य सरकार के स्तर से भारत सरकार को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है ।

वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल के प्रासंगिक पत्र पत्रांक–2397 दिनांक– 02.11.2017 के अवलोकन से प्रतीत होता है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा भारत सरकार द्वारा विषयगत मामले में पृच्छित बिन्दुओं के निराकरण में सहयोग नहीं किया जा रहा है । पृच्छित बिन्दु की कंडिका–iii, iv एवं vii का अनुपालन वन विभाग से संबंधित है एवं शेष कंडिका– I, ii, v, vi एवं viii का निराकरण प्रयोक्ता अभिकरण के स्तर से वांछित है । जिसमें से प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल कंडिका– viii का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । शेष बिन्दु के निराकरण हेतु अब तक कोई रूचि नहीं लिया गया है ।

(शेष पृष्ट–2 पर)

सरकारी अधिवक्ता द्वारा यह भी बताया गया कि जो भी अनुपालन प्रतिवेदन उपलब्ध है उसे ही भेजवाने की व्यवस्था की जाय । उक्त के आलोक में वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल,चाईबासा द्वारा पृच्छित बिन्दुओं का कंडिकावार निराकरण प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो निम्नवत् है :–

Sl. No.	Mentioned documents/clarifications	Answer
i.	Details of the area calculation (length x wide) of forest land proposed for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित Area Calculation तथा Notified Forest का Area Calculation Chart पुनः भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अनु0:–01
ii.	A certificate of concerned DFO stating that survey numbers of the non-forest land involved in construction of proposed road does not fall under the category of deemed forests or otherwise where provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable.	वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि 09 कि0मी0 के लम्बाई में 1650 मी0 से 09 कि0मी0 जिसमें 9.939 हे0 Notified Forest है एवं बाकी 0.03 हे0 प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार G.M. Land जंगल–झाड़ी है जो कुल 9.969 हे0 होता है, का आवेदन समर्पित है। लेकिन 0 मी0 से 1675 मी0 तक भूमि के चरित्र के संबंध में प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर संलग्न नहीं किया गया है। फलस्वरूप 0 मी0 से 1675 मी0 तक में Deemed Forest के बारे में Certificate देना संभव नहीं हो पा रहा है।
iii.	Part-II & Part-III may be submitted in original.	मूल प्रस्ताव अग्रसारण के क्रम में Part-II & Part-III को Website पर अपलोड करते हुए उसकी Original hard copy संलग्न कर भेजा गया है । निदेशानुसार Part-II & Part-III मूल हस्ताक्षरित प्रति पुनः संलग्न समर्पित है । अनु0–02
iv.	Action taken report on erring officials for the work in violation of F(C) Act 1980.	संलग्न है। अनु0–03
v.	Geo-referenced map of the proposed road in polygon shape with depicting the different forests in shape / kml format.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं की गई है।
vi.	CA scheme over equivalent non-forest land along with 7-10 years maintenance, geo-referenced map & land suitability certificate of concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं की गई है। उनका कहना है कि C.A. की आवश्यकता L.W.E. जिले के लिये लागू नहीं है।
vii	Penal CA scheme over equivalent degraded forest land along with 7-10 years maintenance, geo-reference map & land suitability certificate of concerned DFO.	अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न है। अनु0–04
viii.	A Proper justification along with the volume of the traffic survey for the requirement of 25 m ROW for the purpose of reconstruction of the proposed road.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित है जिसे संलग्न किया जाता है। इसमें प्रतिवेदित किया गया है कि Gradient में वांछित सुधार करने हेतु दो लेन पथ निर्माण करने के लिये कम से कम 25 मी0 ROW की आवश्यकता है। DPR Traffic Data की समर्पित छायाप्रति संलग्न है। लेकिन वास्तव में यह Traffic Data पूरे पथ के लिये नहीं है। यह Data रोड निर्माण स्थल 1675 मी0 से 0 मी0 यानि गुवा स्टेशन के तरफ आने वाले रूंगटा माईन्स एवं उड़ीसा मैंगनीज एवं मिनरल्स माईन्स के वाहनों की संख्या मुख्य है। निर्माण स्थल 1675 मी0 से सलाई के तरफ 29 कि0मी0 तक में काफी कम वाहन चलता है। सभी चार पहिया एवं बड़े वाहनों को जोड़ा जाय तब भी प्रतिदिन वाहनों की संख्या 10 के आस–पास से अधिक नहीं रहता है। इस बीच में गाँव भी काफी कम यानि गंगदा, रोवाम, घाटकुड़ी आदि ही हैं। इस प्रकार उपलब्ध Traffic Data को पूरे पथ के लिये मान्य नहीं है। अनु0–05

(शेष पृष्ट–3 पर)

उपरोक्त उलेखित कंडिकावार प्रतिवेदन की अनुलग्नक 4–4 प्रतियाँ अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है ।

अनु0– यथोक्त ।

आपका विश्वासी ।

ह0/–

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

ज्ञापांक : 2130 दिनांक : 2/11/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

ज्ञापांक : 2130 दिनांक : 2/11/2017

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा को उनके पत्रांक– 2397 दिनांक–02.11.2017 के कम में सूचनार्थ प्रेषित ।

2/11/17

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा ।

H/drive Gus-Salai Sudhir

कार्यालय :- वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Tel. : 06582-256366, E-mail : sarandadfo@gmail.com

जहाँ है हरियाली । वहाँ है खुशहाली ॥

पत्रांक : 2397 / चाईबासा, दिनांक : 02.11.2017 /

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय :– सारण्डा वन प्रमण्डल में गुवा सलाई पथ के पुर्ननिर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पक्ष में कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 तक कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 1450 दिनांक 28.08.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक 1450 दिनांक 28.08.2017 के द्वारा प्रस्ताव पर की गई पृच्छाओं का अनुपालन प्रतिवेदन प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर से इस कार्यालय के पत्रांक 1963 दिनांक 02.09.2017, 2083 दिनांक 18.09.2017 एवं 2249 दिनांक 13.10.2017 से मांग की गई थी। दिनांक 18.10.2017 को ई मेल के माध्यम से मुख्य अभियन्ता को प्रेषित पत्र की प्रति कार्यपालक अभियन्ता से अनुपालन के रूप में इस कार्यालय को प्राप्त हुआ जिसमें कोई अनुलग्नक संलग्न नहीं था तथा अपूर्ण था। फलस्वरूप दिनांक 20.10.2017 को प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर के साथ अनुपालन की समीक्षा हेतु प्रमण्डलीय कार्यालय में संयुक्त बैठक निर्धारित किया गया एवं कथित अनुलग्नक एवं वांछित अभिलेखों के साथ भाग लेने का अनुरोध किया गया। लेकिन वे 20.10.2017 को न आकर दिनांक 23.10.2017 को उपस्थित हुए। अनुपालन प्रतिवेदन के समीक्षा में पाया गया कि प्रयोक्ता अभिकरण से संबंधित कंडिका–i, ii, v, vi एवं viii में से केवल एक कंडिका viii का अनुपालन समर्पित किया गया। कंडिका–i के बारे में पूर्व में समर्पित अभिलेखों को भेजने का अनुरोध किया गया तथा कंडिका–ii, v एवं vii पर शीघ्र कार्रवाई करने का आश्वासन दिया गया। दिनांक 23.10.2017 के बैठक की कार्यवाही की छाया प्रति संलग्न है।

पुनः इस कार्यालय के पत्रांक 2350 दिनांक 31.10.2017 से दिनांक 02.11.2017 तक अनुपालन समर्पित करने का अनुरोध किया गया एवं उच्चाधिकारियों के निदेश के आलोक में पातन किये जाने वाले वृक्षों के संयुक्त जांच एवं नक्शा आदि हेतु दिनांक 02.11.2017 को संयुक्त स्थल निरीक्षण के लिये तिथि निर्धारित की गई (छायाप्रति संलग्न)। अधोहस्ताक्षरी आज दिनांक 02.11.2017 को प्रस्तावित स्थल निरीक्षण के लिये जा रहे थे, उसी क्रम में कार्यपालक अभियन्ता द्वारा सुबह 9.00 बजे अधोहस्ताक्षरी के मोबाईल पर सूचित किया गया कि उनका स्थानान्तरण हो गया है एवं आज वे प्रभार देने वाले हैं। फलस्वरूप संयुक्त जांच में उपस्थित होने में असमर्थ हैं। उनसे माननीय National Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata में दिनांक 31.10.2017 में दिये गये निदेश एवं निर्धारित समय से अवगत कराते हुए अनुरोध किया गया कि आप नये कार्यपालक अभियन्ता के साथ आकर इस कार्य को सम्पादित करा लें क्योंकि आपको इसकी पूर्ण जानकारी है। उनसे यह भी अनुरोध किया गया कि अगर आपका आना सम्भव न हो तो कनीय पदाधिकारी को

संयुक्त जांच में भेज दिया जाय। उनके द्वारा बताया गया कि सहायक अभियन्ता का भी स्थानान्तरण हो चुका है। उनके द्वारा उपरोक्त कारणों से पथ निर्माण विभाग के किसी पदाधिकारी का संयुक्त स्थलीय जांच में भाग लेने में असमर्थता व्यक्त की गई। फलस्वरूप अधोहस्ताक्षरी बिना संयुक्त जांच किये चाईबासा वापस लौटने को बाध्य हुए। उनके द्वारा आज दिनांक 02.11.2017 के निर्धारित तिथि तक अनुपालन प्रतिवेदन भी समर्पित नहीं किया गया।

उपरोक्त तथ्यों से स्वतः स्पष्ट है कि भारत सरकार के आपत्ति के निराकण के लिये अधोहस्ताक्षरी द्वारा लगातार सितम्बर, 2017 से प्रयास करने के बावजूद प्रयोक्ता अभिकरण के इसमें कोई रूचि नहीं लिये जाने के कारण अनुपालन प्रतिवेदन अभी तक समर्पित नहीं हो पाया। यह कोई पहली घटना नहीं है कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव पर कार्रवाई या अनुपालन में सहयोग नहीं किया जा रहा है बल्कि प्रस्ताव समर्पण के तिथि से ही इनका रवैया हमेशा असहयोगात्मक रहा है।

दिनांक 31.10.2017 को National Green Tribunal, Eastern Zone, Kolkata में सुनवाई के क्रम में अनुपालन प्रतिवेदन 07 दिनों के अंदर राज्य सरकार से भारत सरकार को भेजने का निदेश दियां गया है। इस संबंध में सरकारी अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार गुप्ता एवं सुनवाई के दौरान उपस्थित वन क्षेत्र पदाधिकारी, गुवा प्रक्षेत्र से वार्त्ता की गई। सरकारी अधिवक्ता श्री बिनोद कुमार गुप्ता द्वारा बताया गया कि माननीय न्यायालय के आदेश के आलोक में जो अनुपालन प्राप्त है, उसे ही भेजवा दिया जाय। उपरोक्त परिस्थिति में अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न समर्पित की जा रही है जो कंडिकावार निम्नवत् है:–

Sl. No.	Mentioned documents/clarifications	Answer
i.	Details of the area calculation (length x wide) of forest land proposed for diversion.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्ताव के साथ समर्पित Area Calculation तथा Notified Forest का Area Calculation Chart पुनः भेजने का अनुरोध किया गया है, जिसकी छाया प्रति संलग्न है। अनु0:–01
ii.	A certificate of concerned DFO stating that survey numbers of the non-forest land involved in construction of proposed road does not fall under the category of deemed forests or otherwise where provisions of Forest (Conservation) Act, 1980 are applicable.	09 कि0मी0 के लम्बाई में 1650 मी0 से 09 कि0मी0 जिसमें 9.939 हे0 Notified Forest है एवं बाकी 0.03 हे0 प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार G.M. Land जंगल–झाड़ी है जो कुल 9.969 हे0 होता है, का आवेदन समर्पित है। लेकिन 0 मी0 से 1675 मी0 तक भूमि के चरित्र के संबंध में प्रमाण–पत्र राजस्व विभाग से प्राप्त कर संलग्न नहीं किया गया है। फलस्वरूप 0 मी0 से 1675 मी0 तक में Deemed Forest के बारे में Certificate देना संभव नहीं हो पा रहा है।
iii.	Part-II & Part-III may be submitted in original.	Original संलग्न है। अनु0–02
iv.	Action taken report on erring officials for the work in violation of F(C) Act 1980.	संलग्न है। अनु0–03
v.	Geo-referenced map of the proposed road in polygon shape with depicting the different forests in shape / kml format.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं की गई है।
vi.	CA scheme over equivalent non-forest land along with 7-10 years maintenance, geo-referenced map & land suitability certificate of concerned DFO.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित नहीं की गई है। उनका कहना है कि C.A. की आवश्यकता L.W.E. जिले के लिये लागू नहीं है।

vii	Penal CA scheme over equivalent degraded forest land along with 7-10 years maintenance, geo-reference map & land suitability certificate of concerned DFO.	अनुपालन प्रतिवेदन संलग्न है। अनु0–04
viii.	A Proper justification along with the volume of the traffic survey for the requirement of 25 m ROW for the purpose of reconstruction of the proposed road.	प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा समर्पित अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित है जिसे संलग्न किया जाता है। इसमें प्रतिवेदित किया गया है कि Gradient में वांछित सुधार करने हेतु दो लेन पथ निर्माण करने के लिये कम से कम 25 मी0 ROW की आवश्यकता है। DPR Traffic Data की समर्पित छायाप्रति संलग्न है। लेकिन वास्तव में यह Traffic Data पूरे पथ के लिये नहीं है। यह Data रोड निर्माण स्थल 1675 मी0 से 0 मी0 यानि गुवा स्टेशन के तरफ आने वाले रूंगटा माईन्स एवं उड़ीसा मैंगनीज एवं मिनरल्स माईन्स के वाहनों की संख्या मुख्य है। निर्माण स्थल 1675 मी0 से सलाई के तरफ 29 कि0मी0 तक में काफी कम वाहन चलता है। सभी चार पहिया एवं बड़े वाहनों को जोड़ा जाय तब भी प्रतिदिन वाहनों की संख्या 10 के आस–पास से अधिक नहीं रहता है। इस बीच में गाँव भी काफी कम यानि गंगदा, रोवाम, घाटकुड़ी आदि ही हैं। इस प्रकार उपलब्ध Traffic Data को पूरे पथ के लिये मान्य नहीं है। अनु0–05

उपरोक्त प्रतिवेदन 05–05 प्रतियों सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित की जा रही है।

अनु0 :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

04/11/12

वन संरक्षक,

सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

कार्यालय :- मुख्य वन संरक्षक, प्रादेशिक अंचल, चाईबासा

Email-cfchaibasa@gmail.com, po-chaibasa, west singhbhum.

पत्रांक 2138

सेवा में,

क्षेत्रीय मुख्य वन संरक्षक,
सिंहभूम, जमशेदपुर ।

चाईबासा, दिनांक : 6/11/2017 /

विषय :- सारण्डा वन प्रमण्डल में गुवा–सलाई पथ के पुर्ननिर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पक्ष में कि0मी0 2.00 से कि0मी0 11.00 तक कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :- (1) इस कार्यालय का पत्रांक 2130 दिनांक 02.11.2017
(2) वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक–2404 दिनांक–06.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के पत्रांक–EP/JH/ROAD/23799/2017/1451 दिनांक– 28.08.2017 द्वारा विषयगत मामले में कृत पृच्छाओं का अनुपालन इस कार्यालय के प्रासंगिक पत्र द्वारा भवदीय को उपलब्ध कराया गया है । जिसमे प्रयोक्त अभिकरण के स्तर से वांछित कंडिका– **ii, v, vi** का अनुपालन प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा ससमय समर्पित नहीं करने के कारण इन कंडिकाओं का अनुपालन समर्पित नहीं किया जा सका था । वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा का पत्रांक– 2404 दिनांक– 06.11.2017 द्वारा लंबित कंडिका यथा– **ii, v,** एवं **vi** का बिन्दुवार अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित किया गया है । वन संरक्षक द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि प्रयोक्ता अभिकरण, कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा आज दिनांक– 06.11.2017 को लंबित कंडिकाओं का प्रतिवेदन उपलब्ध कराया गया है जो निम्नवत् है :–

कंडिका–ii:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचित वन भूमि 9.939 हे0 एवं गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि 0.03 हे0 पथ के भाग के अतिरिक्त पड़ने वाले पथ की अन्य भूमि का अधिग्रहण पथ विभाग द्वारा वर्ष 1973 में किया गया था तथा इस पर पथ का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बहुत पूर्व हो चुका है यानि प्रस्तावित भाग के अतिरिक्त पड़ने वाले पथ में उन्हें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार आवेदित भाग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, अतः अन्य भूमि पर Deemed Forest का मामला नहीं बनता है।

कंडिका–v:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Geo-reference map एवं Shape/KML Format का सी0डी0 समर्पित किया गया है जो संलग्न है।

कंडिका–vi:– प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि पथ निर्माण के दौरान प्रस्तावित भूमि पर पड़ने वाले सभी वृक्षों में से पथ निर्माण के क्रम में केवल 55 वृक्ष का ही पातन किया जायेगा। इन वास्तविक पातन किये जाने वाले वृक्षों की संयुक्त मार्किंग सूची भी समर्पित की गई है (छाया प्रति संलग्न)। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वन भूमि के अपयोजन में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 06 प्रति हे0 होता है जो 50 वृक्ष प्रति हे0 से काफी कम है। भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के विभिन्न पत्रों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि पथ निर्माण के क्रम वास्तविक वृक्षों का पातन 50 वृक्ष प्रति हे0 से काफी कम होने के आलोक में यह प्रस्ताव General Approval U/s – 2 of Forest (Conservation Act) अन्तर्गत आता है तथा इसमें C.A. की आवश्यकता नहीं है।

उपरोक्त के आलोक में वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा द्वारा समर्पित उल्लेखित कंडिकाओं का अनुपालन अनुलग्नक सहित (चार–चार प्रतियों में) अत्रसह संलग्न सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित है ।

अनु0 :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

ज्ञापांक : 2138 दिनांक 6/11/2017

प्रतिलिपि :– प्रधान मुख्य वन संरक्षक, झारखण्ड, राँची/ प्रधान मुख्य वन संरक्षक–सह–कार्यकारी निदेशक, बंजर भूमि विकास बोर्ड, झारखण्ड, राँची को इस कार्यालय के ज्ञापांक 2130 दिनांक 02.11.2017 के क्रम में सादर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह0/–
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

ज्ञापांक : 2138 दिनांक 6/11/2017

प्रतिलिपि :– वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा को उनके पत्रांक–2404 दिनांक– 06.11.2017 के क्रम में सूचनार्थ प्रेषित ।

06/11/17
मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

कार्यालय :- वन संरक्षक, सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।

Tel. : 06582-256366, E-mail : sarandadfo@gmail.com

जहाँ है हरियाली ।
वहाँ है खुशहाली ।।

पत्रांक : 2404 / चाईबासा, दिनांक : 06.11.2017 /

सेवा में,

मुख्य वन संरक्षक,
प्रादेशिक अंचल, चाईबासा।

विषय :– सारण्डा वन प्रमण्डल में गुवा–सलाई पथ के पुर्ननिर्माण हेतु पथ निर्माण विभाग के पक्ष में कि0मी0 02.00 से कि0मी0 11.00 तक कुल 9.969 हे0 वनभूमि का अपयोजन प्रस्ताव के संबंध में।

प्रसंग :– (1) इस कार्यालय का पत्रांक 2397 दिनांक 02.11.2017
(2) कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर का पत्रांक 1097 दिनांक 06.11.2017

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में सूचित करना है कि भारत सरकार, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्त्तन मंत्रालय, क्षेत्रीय कार्यालय, राँची के द्वारा दिनांक 28.08.2017 से आठ बिन्दुओं पर पृच्छा की गई थी। जिसका अनुपालन प्रतिवेदन प्रासंगिक पत्र (1) से समर्पित है जिसमें प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा कंडिका– ii, v एवं vi का अनुपालन प्रतिवेदन समर्पित नहीं करने के कारण इन कंडिकाओं का अनुपालन समर्पित नहीं हो सका था। आज दिनांक 06.11.2017 को प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर द्वारा प्रासंगिक पत्र (2) से कंडिका– ii, v एवं vi का लंबित प्रतिवेदन समर्पित किया गया है जो बिन्दुवार निम्नवत् है :–

कंडिका–ii:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि अधिसूचित वन भूमि 9.939 हे0 एवं गैर मजरूआ जंगल–झाड़ी दर्ज भूमि 0.03 हे0 पथ के भाग के अतिरिक्त पड़ने वाले पथ की अन्य भूमि का अधिग्रहण पथ विभाग द्वारा वर्ष 1973 में किया गया था तथा इस पर पथ का निर्माण वन संरक्षण अधिनियम, 1980 के लागू होने के बहुत पूर्व हो चुका है यानि प्रस्तावित भाग के अतिरिक्त पड़ने वाले पथ में उन्हें अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है। प्रयोक्ता अभिकरण के अनुसार आवेदित भाग के अतिरिक्त अन्य क्षेत्र में अतिरिक्त भूमि की आवश्यकता नहीं है, अतः अन्य भूमि पर Deemed Forest का मामला नहीं बनता है।

कंडिका–v:– प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा Geo-reference map एवं Shape/KML Format का सी0डी0 समर्पित किया गया है जो संलग्न है।

कंडिका–vi:– प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर ने प्रतिवेदित किया है कि पथ निर्माण के दौरान प्रस्तावित भूमि पर पड़ने वाले सभी वृक्षों में से पथ निर्माण के क्रम में केवल 55 वृक्ष का ही पातन किया जायेगा। इन वास्तविक पातन किये जाने वाले वृक्षों की संयुक्त मार्किंग सूची भी समर्पित की गई है (छाया प्रति संलग्न)। उन्होंने यह भी सूचित किया है कि वन भूमि के अपयोजन में काटे जाने वाले वृक्षों की संख्या 06 प्रति हे0 होता है जो 50 वृक्ष प्रति हे0 से काफी कम है।

भारत सरकार, वन एवं पर्यावरण विभाग के विभिन्न पत्रों का उल्लेख करते हुए प्रतिवेदित किया गया है कि पथ निर्माण के क्रम वास्तविक वृक्षों का पातन 50 वृक्ष प्रति हे0 से काफी कम होने के आलोक में यह प्रस्ताव General Approval U/s – 2 of Forest (Conservation Act) अन्तर्गत आता है तथा इसमें C.A. की आवश्यकता नहीं है।

प्रयोक्ता अभिकरण कार्यपालक अभियन्ता, पथ निर्माण विभाग, पथ प्रमण्डल, मनोहरपुर का पत्रांक 1097 दिनांक 06.11.2017 सभी अनुलग्नकों सहित 05–05 प्रतियों में अग्रेतर कार्रवाई हेतु संलग्न समर्पित की जा रही है।

अनु0 :– यथोक्त।

आपका विश्वासी

06/11/2017

वन संरक्षक,
सारण्डा वन प्रमण्डल, चाईबासा।